# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर

# पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व अपील संख्या – 07/2018

| | | |
|---|---|---|
| अपीलांट –<br>प्रेमसिंह पुत्र स्व. चैनसिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा जोधपुर हाल निवास 17 E 647 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर । | बनाम | रेस्पोंडेंट–<br>1. रणजीतसिंह पुत्र चैनसिंह फौत के कायम मुकाम –<br>1/1 कंचनकंवर पत्नि रणजीतसिंह<br>1/2 अजयसिंह पुत्र रणजीतसिंह<br>1/3 करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह<br>1/4 रतनकंवर पुत्र रणजीतसिंह<br>1/5 प्रितमकंवर पुत्र रणजीतसिंह<br>1/6 टिकमकंवर पुत्र रणजीतसिंह<br>1/7 रानुकंवर पुत्र रणजीतसिंह<br>1/8 विमलकंवर पुत्र रणजीतसिंह<br>1/9 विन्नु कंवर पुत्र रणजीतसिंह<br>सभी जातियान राजपूत निवासीगण पृथ्वीपुरा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास – C/O घनश्याम जोशी, एम्पलायमेंट ऑफिस के पास, महामंदिर, भदवासिया रोड़ जोधपुर जिला जोधपुर ।<br>2. लालसिंह पुत्र चैनसिंह फौत के कायम मुकाम –<br>2/1 राजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह<br>2/2 सुप्यारकंवर पत्नि लालसिंह<br>2/3 सुरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह फौत के कायम मुकाम –<br>2/3/1 विनोदकंवर पुत्री सुरेन्द्रसिंह<br>2/3/2 हूलेशकंवर पुत्री सुरेन्द्रसिंह<br>2/3/3 सीमाकंवर पुत्री सुरेन्द्रसिंह<br>2/3/4 सन्तोषकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह<br>2/3/5 दिग्गविजयसिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र 15 वर्ष<br>2/3/6 छोटूसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह उम्र 12 वर्ष<br>दोनो नाबालिग जरीये कुदरती वलीया माता सन्तोष कंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह<br>सभी जातियान राजपूत निवासीगण पृथ्वीपुरा जोधपुर हाल निवास–मकान नं. 38, 21 E चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर ।<br>3. हनुमानसिंह पुत्र चैनसिंह फौत के कायम मुकाम –<br>3/1 राजसिंह पुत्र हनुमानसिंह<br>3/2 जब्बरसिंह पुत्र हनुमानसिंह<br>3/3 बिन्दुकंवर पुत्री हनुमानसिंह<br>3/4 दशमित्रा पत्नि हनुमानसिंह<br>सभी जातियान राजपूत निवासीगण पृथ्वीपुरा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास – C/O सुरेन्द्र सिंह शेखावत मकान नं. 169 एकता नगर, Near GYM रमजान जी का हत्था, पेनाड़ रोड़ जोधपुर ।<br>4. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह<br>5. विरेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह<br>6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह |

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. मगराजसिंह पुत्र लालूराम<br>8. कैसर देवी पत्नि मगराजसिंह<br>9. ... पुत्र लालूराम<br>10. ... देवी पत्नि ...<br>सभी ... जाति निवासीगण ग्राम बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर । |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 412 ग्राम पंचायत बौढा दिनांक 20.07.1985 को स्वीकार किया गया

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री ओमप्रकाश कच्छवाह अपीलांट की ओर से ,
2. श्री उदयसिंह कच्छवाह व श्री बख्तावरसिंह जायद अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से

–निर्णय– दिनांक : 30.08.2019

वकील अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत की है कि ग्राम बेनण पटवार मण्डल बौढा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 34 बीघा 14, खसरा नम्बर 438 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है । उक्त भूमि अपीलांट के पिता चैनसिंह पुत्र रूघनाथसिंह की खरीदसुदा कब्जासुद खातेदारीसुदा भूमि है । अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास सन् 1978 में हो गया था । स्व. चैनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस चार पुत्र लालसिंह, रणजीतसिंह, हनुमानसिंह व प्रेमसिंह है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 256 व 438 वाली भूमि अपीलान्ट के पिता चैनसिंह पुत्र रूघनाथसिंह की खातेदारी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि रही है । स्व. चैनसिंह निर्वसीयत फौत हो गये जिस पर स्वर्गीय चैनसिंह के चारों पुत्र :– लालसिंह, रणजीतसिंह, हनुमानसिंह, व प्रेमसिंह वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर शामलाती काश्त कार्य करने लग गये । स्व. चैनसिंह के फौत हो जाने पर वादग्रस्त आराजी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उनके चारों पुत्रो को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये । वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त चला आ रहा है । स्व. चैनसिंह के फौत हो जाने पर वादग्रस्त खसरा नम्बर 256 व 438 का फौतेदगी नामान्तरकरण उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान लालसिंह, रणजीतसिंह, हनुमानसिंह, व अपीलान्ट प्रेमसिंह के नाम से स्वीकार किया जाना चाहिए था, जबकि हल्का पटवारी ग्राम पंचायत बौढा के सरपंच एवं रणजीतसिंह ने आपस में षडयंत्र रचकर कूटरचित फर्जी स्टाम्प तैयार करके गैर कानूनी तरीके से एकमात्र पुत्र रणजीतसिंह के नाम स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश है :– ग्राम पंचायत बौढा ने नामान्तरकरण जेर अपील स्वीकार करने से पूर्व स्वर्गीय चैनसिंह के वारो को कोई नोटिस नही दिया गया । बिना सुनवाई किये बाले बाले यह कार्यवाही की गयी जबकि मृतक खातेदार चैनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्ट प्रेमसिंह व अपीलान्ट के भाई लालसिंह, हुनमानसिंह भी थे जिनको सुनवाई का अवसर देकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी । ग्राम पंचायत बौढा ने स्व. चैनसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण सरासर गलत स्वीकार किया है । जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है । नामान्तरकरण जेर अपील के जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बौढा ने अपीलान्ट को उसकी जायज

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी अधिकारो से वंचित करने का असफल प्रयास किया है । नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण खोलते समय मृतक चैनसिंह के चार जायन्दा पुत्र होते हुए भी मात्र उनके एक पुत्र रणजीतसिंह के नाम फर्जी दस्तावेज के आधार पर गैर कानूनी तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया । जबकि ग्राम पंचायत को मृतक खातेदार चैनसिंह के जायज वारिसान के बारे में जानकारी के बाद ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था । इसलिए नामान्तरकरण जैर अपील काबिल खारिज फरमानें योग्य है । अपीलांट आज दिन भी स्व. चैनसिंह के जायन्दा पुत्र होने से प्रथम श्रेणी वारिसान की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है व काश्त कार्य करता आया है । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जावें । अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 412 निरस्त फरमाया जाकर मृतक खातेदार चैनसिंह के जायन्दा पुत्र लालसिंह, रणजीतसिंह, हनुमानसिंह व अपीलान्ट प्रेमसिंह के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावें ।

हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगणो को नोटिस जारी किये व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से वकील उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 3 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी चैनसिंह पुत्र रूघनाथसिंह की खरीदसुदा व खातेदारी की भूमि रही है । चैनसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात् म्युटेशन रणजीतसिंह के नाम गलत स्वीकार किया गया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को नही रही । वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त है । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही है कि स्व. चैनसिंह के जायन्दा पुत्र लालसिंह, रणजीतसिंह, हनुमानसिंह, व प्रेमसिंह है । स्वर्गीय चैनसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण चारो पुत्रो के नाम किया जावें । प्रश्नगत म्युटेशन निरस्त फरमाया जावें । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार माना जावें तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपति नही है ।

दिनांक 11.08.2016 को अपील स्वीकार की जाकर दोनो पक्षो को सुनावाई का अवसर दिया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को विधि सम्मंत निर्णय पारित किये जाने का आदेश दिये जाने पर रेस्पोडेन्ट्सगण द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में अपील की गयी । जो स्वीकार की जाकर पत्रावली इस न्यायालय को पुनःइ लौटाई गयी कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 11.08.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे इस अपील के अपीलांगण, रेस्पोडेन्टगण एवं हितबद्ध समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण में पुनः सुनवाई की गयी ।

हमने बहस वकुलाय सुनी । वकील अपीलान्ट ने अपील में दिये गये बिन्दुओ को फिर से दोहराया एवं निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 412 दिनांक 20.07.1995 ग्राम पंचायत चौढ़ा खारिज फरमाया जावें । इसी प्रकार वकील रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में अपील में जवाब के बिन्दुओ को फिर से दोहराया और निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी चैनसिंह पुत्र रूघनाथ सिंह की खरीदसुदा, कब्जासुदा खातेदारी की भूमि रही

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

है । चैनसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रश्नगत म्युटेशन अकेले रणजीतसिंह के नाम गलत स्वीकार किया गया है । जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को नही रही । वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त है ।

प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम पक्षकारो की सुनवाई की जाना आवश्यक होने से पक्षकारो को इस विन्दु पर सुना गया । अपीलान्ट द्वारा अपील निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत की गई है । अपीलान्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।

हमने वहस वकुलाय सुनी । वहस पर मनन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्वर 256 व 436 ग्राम वेनण ग्राम पंचायत चौढ़ा में चैनसिंह के मृत्यु के पश्चात् उसके चारो पुत्रो के नाम फौतेदगी म्युटेशन भरा जाना सही था जो नही भरा गया । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. .412 दिनांक 20.07.1995 ग्राम पंचायत चौढ़ा निरस्त किया जाता है । तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है किवे दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner